

राजस्थानसरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ~~चिखली~~
 (पीठासीन अधिकारी प्रशासन ~~राजस्थान सेवा विभाग~~ केम्प कोर्ट)केम्प ~~अम्बाण~~
 -: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दूरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का ~~अम्बाण~~
 व भू.अ. निरीक्षक वृत्त ~~चिखली~~ की सयुक्त रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब
 तहसीलदार ~~चिखली~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~अम्बाण~~ तहसील ~~चिखली~~ जिला डूंगरपुर की
 जमाबन्दी सवन्त 2075-2078 में खाता संख्या ~~563-269~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को
 निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये
 जाते है।

क. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	अम्बाण	563 269	सुरवराम पिता रामलाल मीण	सुरजमल पिता रामलाल मीण

पीठासीन अधिकारी

~~राजस्थान सेवा विभाग~~
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर

कमांक/राजस्व ~~ग.से.वि. 2025~~
 प्रतिलिपि :-

दिनांक 17-9-2025

1. तहसीलदार ~~चिखली~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. पटवारी पटवार हल्का
3. रक्षित पत्रावली

पीठासीन अधिकारी

~~राजस्थान सेवा विभाग~~
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर